31

18299
20/6/10

3/24-51-2010 22

संख्या : बी–3–1498 / दस–2010–100(4)–ब.मै.–टी.सी.– II

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

7526 पी०

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–3

लखनऊ : दिनाँक : 21 जून, 2010

विषय : वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधान ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (सप्तम संस्करण) के अध्याय–6 में स्पष्ट किया गया है कि उपकरण और फर्नीचर का प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) "नया व्यय" नहीं माना जायेगा ।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल निष्प्रयोज्य मशीन / उपकरण / संयंत्र के प्रतिस्थापन में नये मशीन / उपकरण और संयंत्र क्रय करने के अधिकार विभागाध्यक्षों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रतिनिहित करते हैं :

(1) निर्धारित मानकों के अनुसार मशीन / उपकरण / संयंत्र को निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया हो ।

(2) उक्त प्रयोजन के लिए बजट प्रावधान हो ।

(3) निष्प्रयोज्य मशीन / उपकरण / संयंत्र का अधिकतम तीन माह की अवधि में नियमानुसार निस्तारण कर धनराशि राजकोष में जमा कर दी जाय ।

3– उक्त प्रतिनिधान तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे ।

4– वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे ।

FAX

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव ।

आप्त पुलिस महानिदेशक
(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन
उत्तर प्रदेश शासन

(शिव चरन)
अनुभाग अधिकारी,
गृह (पुलिस) अनुभाग–7
उ० प्र० शासन

पुलिस महानिरीक्षक
उ० प्र० पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।
29/6/10

पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय

— 2 —

संख्या : बी–3–1498(1)/दस–2010–100(4)–ब.मै.–टी.सी.–11, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
4. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. समस्त जिलाधिकारी/समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7. वित्त (लेखा) अनुभाग–2 ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव ।